झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

—::संकल्प::—

विषयः— नगर विकास एवं आवास विभाग सहित राज्य के स्थानीय नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन, AMRUT, विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजनाओं एवं SUDA के द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सूचीबद्ध परामर्शियों में से परामर्शी के चयन के संबंध में।

विभागीय पत्रांक—UDD/DMA/EOC/2015-16 दिनांक—05.08.2015 के द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बीडिंग के क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग सहित राज्य शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने इत्यादि के लिए Empanelled परामर्शियों में से सक्षम परामर्शी के चयन हेतु विभागीय संकल्प सं0—3046 दिनांक—31.08.2015 द्वारा निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में कुल सात सदस्यीय परामर्शी समिति का गठन किया गया था।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), झारखण्ड द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, AMRUT, विश्व बैंक द्वारा संपोषित योजना एवं अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। उक्त आलोक में संदर्भित योजनाओं के लिए परामर्शी के चयन हेतु निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड की अध्यक्षता में निम्नांकित रूप में परामर्शी समिति का गठन किया जाता है :—

i	निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड	अध्यक्ष
ii	नगर विकास विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
iii	वित्त विभाग के पदाधिकारी	सदस्य
iv	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
v	जुडको लि0 के प्रतिनिधि	सदस्य
vi	मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास विभाग	सदस्य
vii	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदधिकारी/विशेष पदाधिकारी (स्थानीय निकाय हेतु परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने के स्थिति में)	सदस्य

3. किसी शहरी स्थानीय निकाय को उक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी की सेवाओं की आवश्यकता होने की स्थिति में, ऐसे निकाय के द्वारा भूमि की उपलब्धता के साथ निदेशक, नगरीय प्रशासन/राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड से अनुरोध किया जाएगा, जिनके स्तर पर गठित उपर्युक्त समिति के द्वारा स्थापित प्रावधानों के आलोक में पारदर्शितापूर्ण तरीके से परामर्शी का चयन करते हुए संबंधित स्थानीय निकाय को सूचित किया जायेगा ताकि वे वांछित परामर्शी सेवायें प्राप्त कर सकें।

4. चयनित परामर्शी के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विरूद्ध अनुमान्य राशि का विधिवत् भुगतान संबंधित शहरी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा चयनित संस्था के द्वारा ससमय किया जायेगा,

जिसका निदेशक, नगरीय प्रशासन/राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

5. उपर्युक्त समिति को परामर्शी के चयन के संबंध में सभी अधिकारी प्राप्त होंगे।

6. विभागीय संकल्प सं0–3046 दिनांक–31.08.2015 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

5.7.16

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 06A/न0वि0/विविध(परामर्शी)–36/15–01/2012 3601 राँची, दिनांक– 05/07/16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5.7.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 06 A/न0वि0/विविध(परामर्शी)–36/15–01/2012 3601 राँची, दिनांक– 05/07/16

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी, e Gazetteer नगर विकास एवं आवास विभाग /महाप्रबंधक, जुडको लि0/सहायक निदेशक, SUDA, वसुन्धरा मेगामार्ट, अरगोड़ा चौक, राँची/सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी विशेष पदाधिकारी/सभी महापौर/अध्यक्ष, शहरी स्थानीय निकाय/श्री कुणाल को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.7.16

सरकार के प्रधान सचिव।